दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/ 572;

दिनांक: 19.11.2026

को,

Plexconcil/ COA के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत माल और परिवहन (एलआईएफटी) के लिए रसद हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन - निर्यात दिशा

संदर्भ: DGFT ट्रेड नोटिस नंबर 36/2026-27, दिनांक 17 नवंबर 2026

हम आपको बताना चाहते हैं कि ऊपर दिया गया ट्रेड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (निर्यात दिशा) के तहत फ्रेट और ट्रांसपोर्ट (LIFT) के लिए लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन को आसान बनाने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस में ये बदलाव किए गए हैं, ताकि एक्सपोर्टर्स की ज़्यादा भागीदारी पक्की हो सके और MSMEs को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके।

MSMEs को सपोर्ट।

क्रमांक।	धारा / पैरा सं.	मौजूदा पाठ	संशोधित / सम्मिलित पाठ
1	**नीति ढांचा – पैरा 2(ए)**	इस पहल के तहत मदद, पहचाने गए ज़िलों से नोटिफाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए MSMEs द्वारा किए गए माल ढुलाई खर्च के कुछ हिस्से की भरपाई तक ही सीमित होगी।	इस पहल के तहत समर्थन, पहचाने गए जिलों से **पात्र एमएसएमई के सभी निर्यात योग्य माल (नकारात्मक सूची के तहत शामिल निर्यात वस्तुओं के अलावा) के लिए एमएसएमई द्वारा किए गए माल ढुलाई लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति तक सीमित होगा।**
2	**परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश – पैरा 1(ए)**	**एनेक्सर-V** में दी गई लिस्ट के अनुसार जिलों से होने वाले एक्सपोर्ट इंटरवेंशन के तहत सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे।	**इस ट्रेड नोटिस के Annexure-I में दी गई लिस्ट के अनुसार** जिलों से होने वाले एक्सपोर्ट, इंटरवेंशन के तहत सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे।
3	**परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश – पैरा 1(सी)(i)**	माल ढुलाई के खर्च का कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा i. एमएसएमई परिसरों से **अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), समुद्री बंदरगाहों और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) तक रेल या सड़क के माध्यम से निर्यात का शिपमेंट।**	माल ढुलाई के खर्च का कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा i. एमएसएमई परिसरों से **अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), समुद्री बंदरगाहों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस), एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के साथ संलग्न सीएफएस तक रेल, सड़क या अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से निर्यात का शिपमेंट** ।
		ii. इसके अलावा, नॉर्थ-ईस्ट इलाकों के जिलों के लिए हवाई जहाज़ से शिपमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा ।	**ii. इसके अलावा, नॉर्थ-ईस्ट, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इलाकों के** जिलों के लिए हवाई जहाज से शिपमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा ।

5	**परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश – पैरा 1(डी)**	**एलिजिबल प्रोडक्ट्स** की लिस्ट Annexure-VI में दी गई है।	**इस ट्रेड नोटिस के Annexure-II में बताई गई नेगेटिव लिस्ट में शामिल एक्सपोर्ट आइटम के अलावा,** एलिजिबल MSMEs का सभी एक्सपोर्टेबल सामान सपोर्ट के लिए एलिजिबल होगा।
6	**परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश – पैरा 1(ई)**	दिया गया सपोर्ट तभी मिलेगा जब **ICD, CFS, ACC या सीपोर्ट तक माल ले जाने के लिए शुरुआत और मंज़िल के बीच की दूरी 200 km से कम न हो।**	यह सपोर्ट तभी मिलेगा जब **ICD, CFS, ACC, सीपोर्ट, LCS या CFS से जुड़े ICP तक फ्रेट मूवमेंट के लिए ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच की दूरी 100 km से कम न हो। इनलैंड फ्रेट रीइंबर्समेंट 400 km तक सीमित** होगा, **जिसमें मल्टी-लेग और मल्टीमोडल मूवमेंट शामिल हैं।**
7	**परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश – पैरा 4(सी)**	फ़ायदे पाने के लिए एप्लीकेशन में प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए, और यह पक्का करना चाहिए कि यह **Annexure-VI में बताए गए प्रोडक्ट्स की लिस्ट से मैच करता हो।**	फ़ायदे लेने के लिए एप्लीकेशन में प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए, और यह पक्का करना चाहिए कि **इस ट्रेड नोटिस के Annexure-II के अनुसार नेगेटिव लिस्ट में प्रोडक्ट्स शामिल न हों।**
8	**परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश पैरा 4 (डी)**	कंटीन्यूअस ट्रैकिंग के लिए एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट की नीचे दी गई ज़रूरी लिस्ट शामिल करनी होगी: i. शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनवॉइस की कॉपी ii. पेमेंट का प्रूफ iii. शिपिंग बिल iv. ई-वे बिल	कंटीन्यूअस ट्रैकिंग के लिए एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट की ये ज़रूरी लिस्ट शामिल होनी चाहिए: i. शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनवॉइस की कॉपी ii. पेमेंट का प्रूफ iii. शिपिंग बिल iv. ई-वे बिल v. लैंड-फ्रंटियर एक्सपोर्ट के लिए एक्सेप्टेड बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट
9.	**सम्मिलित परिचालन और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश पैरा 4 (एफ)**		सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी, दिए गए फाइनेंशियल ईयर में EPM के LIFT इंटरवेंशन के तहत उपलब्ध बजट के अंदर गाइडलाइंस के अनुसार मिले और अप्रूव्ड एप्लीकेशन के रीइंबर्समेंट तक लिमिटेड है।
10.	**शासन संरचना, पैरा 1 (ई)**	सब-कमेटी, दूसरी बातों के साथ-साथ, नीचे दी गई बातों की सिफारिश करेगी: · योग्य जिले। · योग्य उत्पाद। · रीइंबर्समेंट की लागू दरें; और · मिलने वाले फ़ायदों की सालाना लिमिट। पात्र ज़िलों और पात्र उत्पादों की वर्तमान सूचियां क्रमशः **अनुलग्नक-V और अनुलग्नक-VI में दी गई हैं।**	सब-कमेटी, दूसरी बातों के साथ-साथ, नीचे दी गई बातों की सिफारिश करेगी: · योग्य जिले। · योग्य उत्पाद। · रीइंबर्समेंट की लागू दरें; और · मिलने वाले फ़ायदों की सालाना लिमिट। एलिजिबल जिलों और नेगेटिव लिस्ट में मौजूद प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट की कैटेगरी की मौजूदा लिस्ट **इस ट्रेड नोटिस के एनेक्सर-I और एनेक्सर-II** में बताई गई हैं। सरकार इस ट्रेड नोटिस में बताए गए एनेक्सर II में बताए गए प्रोडक्ट्स/एक्सपोर्ट की कैटेगरी की लिस्ट में कुछ जोड़ने/बदलने/हटाने का अधिकार रखती है।
11	**ट्रेड नोटिस के लिए योग्य ज़िलों की सूची का अनुलग्नक - V**	पात्र जिलों की सूची	LIFT के तहत एलिजिबल जिलों की लिस्ट **को बढ़ाकर 21 राज्यों/UTs के 308 कम एक्सपोर्ट इंटेंसिटी वाले जिलों को शामिल किया गया है (इस ट्रेड नोटिस का एनेक्सर-I)**
12	**ट्रेड नोटिस के लिए अनुलग्नक - V योग्य उत्पादों की सूची**	योग्य उत्पादों की सूची	**LIFT के तहत सपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं प्रोडक्ट्स की नेगेटिव लिस्ट (इस ट्रेड नोटिस का एनेक्सर-II)**

ऊपर बताए गए बदले हुए नियम इस ट्रेड नोटिस के जारी होने की तारीख से लागू होंगे और आगे से लागू होंगे, यानी सिर्फ़ **17.11.2026 को या उसके बाद MSME जगहों से एक्सपोर्ट के शिपमेंट के संबंध में एक्सपोर्ट पर।** ट्रेड नोटिस जारी

होने से पहले MSME जगहों से एक्सपोर्ट का शिपमेंट **20.02.2026 के ट्रेड नोटिस नंबर 29/2025-26 के तहत कंट्रोल होता रहेगा,** और ऐसे एक्सपोर्ट के संबंध में बदले हुए नियमों के तहत कोई क्लेम मंज़ूर नहीं होगा।

ट्रेड नोटिस संख्या 29/2025-26, दिनांक 20 फरवरी 2026 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऑफिशियल ट्रेड नोटिस यहां देखें:

ट्रेड नोटिस नंबर 36/2026-27 तारीख: 17 नवंबर 2026 :
https://membership.plasticsepc.org/mails_images/ 20261118061224.pdf

ट्रेड नोटिस नंबर 29/2025-26 तारीख: 20 फरवरी 2026 :
https://membership.plasticsepc.org/mails_images/ 20261118061845.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल